न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 01 / 19

तारीख रजू:– 23.04.19

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. राजवीर पुत्र रामजीलाल
2. जगन पुत्र श्योदान
3. सुक्या उर्फ सुखराम पुत्र हरभजन
4. शांति पत्नि रूगनाथ
5. काडू पुत्र रामपाल
6. श्रीमन पुत्र मिश्रा
7. बदरी पुत्र पितराम
8. मोहरलाल पुत्र किशनलाल

जाति मीना निवासीयान ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल पुत्र बदरीलाल
2. प्रकाश चन्द पुत्र बदरी लाल
3. रामपति पुत्री बदरीलाल
4. अनिता पुत्री बदरीलाल

समस्त जातियान मीना निवासीयान गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

5. ग्राम पंचायत गोरडा जरिये सरपंच गोरडा।
6. सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत गोरडा
नामांतकरण सख्या 754 दिनांक 20.7.17 ग्राम पंचायत गोरडा
उपस्थिति:– श्री विजय भारती एडवोकेट (अपीलांट)
श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (रेस्पो0)

निर्णय दिनांक:– 13.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गोरडा का नामांतकरण संख्या 754 दिनांक 20.7.2017 विधि विरूद्व एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि मृतक रामप्यारी वेवा बदरी प्रसाद के वारिसान की बिना जॉच उक्त विवादित नामांतकरण गलत भरा गया है। मृतक रामप्यारी के एक पुत्री उगन्ती ओर है जिसका नाम इस विवादित नामांतकरण मे दर्ज नही किया गया है। इस कारण से नामांतकरण निरस्त योग्य है। उभयपक्षो के मध्य आराजी साबिक ख0न0 896, 897 से बने हाल ख0न0 1170, 1171, 1172, 1173 को लेकर अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे लम्बित है। जिसमे दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 10.03.2017 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। स्थगन आदेश की सूचना तहसीलदार को होने के पश्चात

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

भी यह विवादित नामांतकरण तस्दीक किया गया है जो कि प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे एवं डोक्टमीन आफ लिस पेनडेनसिव के तहत प्रभाव शून्य होने से नामांतकरण निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुने बिना ही एवं प्रार्थीगण को मुकदमे मे उलझाने की वजह से यह नामांतकरण कार्यवाही की गई है। विवादित नामांतकरण मौके व कब्जे की कोई जॉच नही की गई है। जो नियम 119 लगायत 125 की अवहेलना है। इस कारण से भी यह नामांतकरण निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट प्रार्थीगण को उक्त विवादित नामांतकरण की जानकारी दिनांक 25.2.19 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई। तहसील से नामांतकरण की नकल प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अपीलांट को 25.2.19 से पूर्व इस नामांतकरण की जानकारी नही थी। फिर भी ऐसे आदेश को एटऐनी टाईम सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त करवाया जा सकता है। ऐसे आदेश पर नियाद प्रभावी नही होती है फिर भी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

अत अपील अन्दर नियाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायायलय ग्रम पंचायत गोरडा का नामांतकरण संख्या 754 निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 न0 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित हुये रेस्पो0 न0 5 व 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये। रेस्पो0 के वकील ने धारा 5 नियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया कि अपील पेश करने मे हुई देरी का कोई उचित एवं सद्भाविक कारण दर्ज नही किया है। अपीलांट ग्राम गोरडा के ही निवासी है आराजीयात भी ग्राम गोरडा की है जिसका प्रार्थीगण को बखूबी इल्म था प्रार्थीगण ने रेस्पो0 को हैरान परेशान करने की वजह से 2 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो अन्दर म्याद कानूनन शुमार नही की जा सकती इस बिना पर यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से एवं नामांतकरण से कोई संबध नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को अपील पेश करने का एवं प्रार्थना पत्र अधिनियम का कोई अधिकार नही है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने जबाब की प्रति प्राप्त की एवं अपील की लिखित बहस प्रस्तुत की, कि नामांतकरण संख्या 754 दिनांक 20.7.17 की अपील दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। यह नामांतकरण प्रारम्भ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है, शून्य आदेश पर कोई नियाद प्रभावित नही होती है। साबिक ख0न0 896, 897 से बने हाल ख0न0 1170, 1171, 1172, 1173 बाके ग्राम गोरडा को लेकर पूर्व से ही उभयपक्षो के मध्य विवाद माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे विचारधीन है जिसमे दिनांक 10.3.17 को स्थगन आदेश जारी किया है प्रकरण आज भी माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे लम्बित है जिसकी जानकारी रेस्पो0 एवं तहसीलदार को होने के पश्चात भी नामांतकरण तस्दीक किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य की श्रेणी मे आता है तथा माननीय उच्च न्यायालय मे अपने निर्णय न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2002 पृष्ठ 37 पर स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि निर्णय की जानकारी व ज्ञान का अभाव होने से दफा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। आर.बी.जे (4) 1997 पेज 257 पर माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी पर लिबरल रूख अपनाने का

उपखिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मत पारित किया है तथा इसके अलावा आर.आर.डी 2009 पेज 648, 195 एवं आर.आर. डी 2008 पेज 168 तथा आर.आर.डी 2007 पेज 138 मे यही मत पारित किया है कि दफा 5 के निर्णय के साथ मे मेरिट का अवलोकन किया जाना अनिवार्य है इस प्रकरण मे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर से स्थगन आदेश होने के बावजूद रेस्पो0 को फायदा पहुचाने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी मे बिना न्यायिक विवेक के मृतक के समस्त वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे लम्बित है जिसमे अधिकारो का विनिश्चय किया जाना शेष है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.7.17 नामांतकरण संख्या 754 बाके ग्राम गोरडा निरस्त फरमाया जावे। तथा तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि राजस्व मंडल के निर्णय के उपरान्त निर्णयानुसार उक्त आराजी को लेकर नामांतकरण तस्दीक किया जावे।

रेस्पो0 के वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम गोरडा मे अपीलांट न तो खातेदार है न ही इनका किसी प्रकार का कोई हित निहीत है। उक्त आराजी के संबध मे तहसीलदार टोडाभीम द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर मे अन्य आराजीयात के साथ रेफरेन्स केस प्रस्तुत किया था। जिसमे माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे अपने निर्णय मे साबिक ख0न0 896, 897 से बने हाल ख0न0 1170, 1171, 1172, 1173 बाके ग्राम गोरडा का रेफरेन्स स्वीकार नही किया गया है। अपीलांट की ओर से एक मुकदमा न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम मे भी प्रस्तुत किया गया था। जो घारा 11 के तहत प्रार्थना पत्र पेश होने पर न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम द्वारा दिनांक 11.7.16 को खारिज किया गया है। इस निर्णय के विरूद्व की गई अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 28.2.17 के निर्णय से खारिज की गई है। तथा न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम का निर्णय दिनांक 11.7.16 यथावत रखा गया है। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा जिस प्रकरण मे दिनांक 10.3.17 को जो स्थगन आदेश पारित किया गया है। उस प्रकरण मे न तो अपीलांट, न ही रेस्पो0 और नाही तहसीलदार टोडाभीम पक्षकार है। उक्त विवादित नामांतकरण 754 विरासत का है खातेदार के वारिसान के नाम नामांतकरण खुला है। यह नामांतकरण विक्रय या रहन का नही है। मॉ के फौत होने पर बेटे व बेटीयो के नाम नामांतकरण स्वाभाविक प्रकिया है। अपीलांट का यह कथन कि उक्त विवादित आराजीयात माफी मंदिर से संबधित है या आम जनता के हित निहीत है तो आदेश 1 रूल्स 8 जा0दी0 के नियमो की पालना करवानी चाहिये थी। जिसका अपील मे कही कोई वर्णन नही है। विरासत के आधार पर नामांतकरण विधि सम्वत खोला गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमतया वकील रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 5 लिमिटेशन के जबाव एवं इस विषय पर हुई बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरो के मध्येजनर प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मे प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है। नामांतकरण संख्या 754 दिनांक 20.7.17 ग्राम गोरडा के विरूद्व प्रस्तुत अपील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो एवं

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

लिखित बहस का अवलोकन किया गया। नामांतकरण मे वर्णित आराजीयात से अपीलांट का किसी प्रकार परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कोई संबध होने का दस्तावेज पत्रावली मे शामिल नही है। अर्थात अपीलांट का उक्त आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। प्रस्तुत अपील मे यह उल्लेख किया गया है कि मृतक रामप्यारी के एक पुत्री उगन्ती और है जिसका नाम इस नामांतकरण मे दर्ज नही किया गया है। इस संबध मे उज्र पेश करने के लिये ही उगन्ती सक्षम है अपीलांट उनकी ओर से उज्र पेश करने के लिये सक्षम नही है। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे द्वि सदस्यीय (डबल बैंच) पीठ द्वारा दिनांक 10.03.2017 को पारित निर्णय अनुसार ग्राम गोरडा के साबिक ख0न0 896 एवं 897 की आराजी के हस्तानान्तरण पर स्थगन जारी किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 साबिक ख0न0 896 एवं 896 मिन से नवीन ख0न0 1170 एवं 1173 बने है। तथा साबिक ख0न0 897 एवं 897 मिन से नवीन ख0न0 1171 एवं 1172 बने है। नामांतकरण संख्या 754 ग्राम गोरडा से मृतका रामप्यारी बेवा बद्री प्रसाद के वारिसान के नाम इन्द्राजात किये गये है सामान्यतः हाल जमाबन्दी मे मृतक खातेदार का नाम नही रखने के कारण विधिक वारिसान के नाम जरिये नामांतकरण दर्ज होना एक सामान्य प्रकिया है, जो हस्तानान्तरण की श्रेणी मे नही आता है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नही पाता हूँ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/01/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.29 15:41:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: